राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2020 / 1012 दिनांकः– 31/12/2020

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 240 वीं बैठक दिनांक 17–01–2020 के विचार बिन्दु संख्या 240.5 में लिये गये निर्णय की पालना में मण्डल की विभिन्न योजनाओं में आवंटित संस्थानिक भूखण्डों पर निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में, पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2020 / 1292 दिनांक 31–01–2020 द्वारा निम्न प्रावधान किया गया थाः–

संस्थागत भूखण्डों के आवंटियों द्वारा भौतिक कब्जा सुपुर्दगी की तिथी से दो वर्ष की नियत अवधि में अथवा आवंटन पत्र में वर्णित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर आवंटन के समय प्रभावी संस्थानिक भूखण्डों की आरक्षित दर का 02.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलम्बित अवधि के लिए प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी 05 वर्ष तक निर्माण की अवधि आवासन आयुक्त द्वारा बढ़ाई जावेगी। अभिवृद्धित समयावधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर, आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

उक्त प्रावधान के अन्तर्गत वर्तमान में अनेक संस्थागत भूखण्डों के निर्माण सम्बन्धी प्रकरणों में 5 वर्ष की अवधि निकल जाने के फलस्वरूप ऐसे सभी प्रकरणों में 30–06–2021 तक का समय देते हुए एवं आवंटन पत्र में वर्णित अवधि में निर्माण कार्य न करने पर 8 वर्ष के लिए 1 प्रतिशत वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी 5 वर्ष तक निर्माण की अवधि आवासन आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी एवं जो संस्थाएँ 30 जून 2021 तक आवेदन नहीं करेंगी उनके आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि / मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–.................................., रा0आ0म0, ... (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी, विपणन शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

D/DRB/OFFICE ORDER